



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या:- 2025 / 726

दर्ज तिथि:-27.10.2025

1. तेजाराम पुत्र सोभाराम
2. सोभाराम पुत्र पन्नाराम  
जाति जाट निवासी कानासर तहसील नोखड़ा

.....प्रार्थीगण

1. तहसीलदार नोखड़ा
2. अणदाराम पुत्र शिवदानराम
3. आदाराम पुत्र शिवदानराम
4. इन्द्राराम पुत्र शिवदानराम
5. उत्तमाराम पुत्र भंवराराम
6. दीपाराम पुत्र भंवराराम
7. भंवराराम पुत्र शिवदानराम  
जाति मेगवाल निवासी नई उन्दरी तहसील गुडामालानी।
8. इन्द्राराम पुत्र नानजीराम  
जाति मेगवाल निवासी धांधलावास तहसील गुडामालानी

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:-श्री डालूराम चौधरी

अप्रार्थीगण:- श्री नारायण कुमावत  
श्री रोशनलाल चौधरी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-131,136

राजस्थान भू-राजस्व अधि.-1956

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-24.04.2026


1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:-



- कि प्रार्थीगण का खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/283 रकबा 5.2875 मौजा कानासर पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा में आया हुआ है।
  - कि प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 472/283 में वक्ल सेटलमेंट से खसरा संख्या 471/283/0.1110 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर एक रास्ता चलायमान है।
  - कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी तक आने-जाने के लिए मौके पर वक्त सेटलमेंट से खसरा संख्या 471/288/0.1092 है0, 473/371/0.0947 है0 475/372/0.0012 है0, 467/260/0.2489 है0, 469/261/0.1008 है0 मौजा भांभूनगर, खसरा संख्या 504/402/0.1517 है0, 502/400/0.1153 है0, 500/297/0.1153 है0 किस्म दो0, 494/369, मौजा जूनी उन्दरी पर रास्ता चलायमान है। उक्त रास्ते के रूप में उपयोग आ रही भूमि वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 01 राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। परंतु उक्त भूमि की किस्म बारानी दोयम दर्ज है जिसे रास्ते के रूप में उपयोग होने के कारण गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना है। उक्त भूमि का खातेदारान द्वारा रास्ते हेतु समर्पण किया जा चुका है।
  - कि खसरा संख्या 501/297/8.3021 है0 किस्म बा0दो0 की भूमि विप्रार्थी संख्या 02 से 08 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के दक्षिणी दिशा में खसरा संख्या 299/1, 299/2, 299 के सेढे पर खसरा संख्या 501/297 की सीमा में रकबा 0.2428 है0 भूमि का उपयोग वक्त सेटलमेंट से रास्ते के रूप में किया जा रहा है। उक्त रास्ते गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।
  - कि प्रार्थीगण द्वारा उपयोग में ली जा रही उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं होने से उक्त भूमि पर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार 471/288/0.1092 है0, 473/371/0.0947 है0 475/372/0.0012 है0, 467/260/0.2489 है0, 469/261/0.1008 है0 मौजा भांभूनगर, खसरा संख्या 504/402/0.1517 है0, 502/400/0.1153 है0, 500/297/0.1153 है0 किस्म दो0 मौजा जूनी उन्दरी की भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता एवं खसरा संख्या 501/297/8.3021 के दक्षिणी दिशा में चलायमान रास्ते (परिशिष्ट 'अ') को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।
2. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03, 04, 07, 08 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 03, 04 व 07 द्वारा जवाब प्रस्तुत करते अपनी आराजी खसरा संख्या 501/297/8.3021 है0 मौजा जूनी उन्दरी के दक्षिणी दिशा में खसरा संख्या 299/1, 299/2, 299 के सेढासेढ चलायमान कदीमी रास्ते को अप्रार्थी संख्या 8 को अप्रभावित करते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  3. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1020 दिनांक 30.12.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मौके पर


सेटलमेंट से चलित रास्ता परिशिष्ट-अ के आधार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर रिकॉर्ड दुरुस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा सेटलमेंट से चलायमान रास्ता के संबंध में प्रस्तुत परिशिष्ट-अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-



6. प्रार्थी द्वारा सेटलमेंट से चलायमान रास्ते के संबंध में प्रस्तुत परिशिष्ट-अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1020 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा


द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1020 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-



7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1020 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:-

1. कि ग्राम भांभुनगर के खसरा संख्या 471/288, 473/371, 475/372, 467/260, 469/261 किस्म बा0दो0 व ग्राम जूनी उन्दरी के खसरा संख्या 504/401, 502/400, 494/369, 500/297 है0 किस्म बा0दो0 है, उपर्युक्त सभी खसरे रास्ते हेतु समर्पण भूमि है, रास्ता मौके पर चालू है। उक्त सभी खसरों की किस्म बा0दो0 से गैर मुमकिन रास्ता की जानी उचित है।
2. मौके पर चालू रास्ता परिशिष्ट 'अ' अनुसार मौके पर चालू है।
3. मौके पर चल रहा रास्ता में उपरोक्त समर्पण खसरों व ग्राम जूनी उन्दरी के खसरा संख्या 501/297 में मौके पर चला रहा रास्ता की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।
4. ग्राम जूनी उन्दरी के खसरा संख्या 501/297 रकबा 8.3021 है0 किस्म बा0दो0 मौके पर चल रहे रास्ता अनुसार लंबाई 392 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर अर्थात 2352 वर्गमीटर या 0.2352 है0 की किस्म गै0 मु0 रास्ता परिशिष्ट 'अ' अनुसार दर्ज किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में उक्त कदीमी रास्ते की वर्ष 2013 की सेटेलाईट चित्र निम्न प्रकार है:-



9. प्रकरण में उक्त कदीमी रास्ते की हाल की सेटेलाईट चित्र निम्न प्रकार है:-



10. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1020 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन तथा उक्त कदीमी रास्ते के ऐतिहासिक कालानुक्रम की सेटेलाईट चित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रास्ता कदीमी रास्ते के रूप में दीर्घकाल से मौके पर स्थाई रूप से चालू है। जिसका राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम-1957 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131 व 132 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1020 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा एवं परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीम किस्म बा0दो0 से गैर मुमकिन रास्ता किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/1020 दिनांक

30.12.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 471/288, 473/371, 475/372, 467/260, 469/261 किस्म बा0दो0 व ग्राम जूनी उन्दरी के खसरा संख्या 504/401, 502/400, 494/369, 500/297 है0 किस्म बा0दो0 पर चलायमान रास्ते का भूमि उपयोग गैर मुमकिन रास्ता एवं खसरा संख्या 501/297 रकबा 8.3021 है0 किस्म बा0दो0 मौजा जूनी उन्दरी मौके पर चल रहे रास्ता अनुसार वर्तमान खातेदारों की खातेदारी में ही यथावत रखते हुए भूमि उपयोग गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति संबंधित तहसीलदार को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी

